पुलिस भरोसे लायक नहीं, इसलिए सीबीआई से जांच के अलावा कोई विकल्प नहीं: हाईकोर्ट

दलित नाबालिग से रेप पर कोर्ट सख्त, पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर के निर्देश

ग्वालियर,(एजेंसी)। मुरार थाने में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित की मदद करने के मामले में पुलिस के पांच अधिकारियों को काफी महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पुलिस की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस भरोसे लायक नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी आरोपित बाबा गंगा सिंह भदौरिया के कहने पर काम करते रहे। कोर्ट के पास जांच के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए मामला सीबीआई को स्थानांतरित किया जाता है। इस पूरे मामले के दस्तावेज सीबीआई को तत्काल सुपुर्द किए जाएं। सीबीआई डायरेक्टर को निर्देश किया है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी इस मामले की जांच दी जाए। गंगा सिंह भदौरिया व पुलिस अधिकारियों के फोन काल्स की जांच की जाए। साथ ही पूरे मामले में गड़बड़ी करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज की जाए। कोर्ट ने 129 पेज के आदेश में पुलिस की भूमिका पर काफी सवाल भी खड़े किए हैं।

एक नाबालिग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि आदित्य सिंह भदौरिया ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर मारपीट की। मुरार थाना पुलिस के पास जब शिकायत लेकर पहुंचे तो उल्टा पुलिस नाबालिग को परेशान करने लगी। साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ भी की है। थाने में अवैध रूप से बंधक बनाए रखा। पुलिस बयान बदलने के लिए दवाब भी बनाती रही। नाबालिग गायब होने पर हेवियस कार्पस भी दायर की। कोर्ट ने पुलिस से इस संबंध में जवाब मांगा। मामले की स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को तलब कर लिया था। 17 जून को पुलिस अधीक्षक अमित सांघी वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से न्यायालय के सामने उपस्थित हुए।

अधिकारियों पर 50 हजार का हर्जाना

बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोपित पर तो कार्रवाई नहीं, उल्टा पीड़िता व उसके परिवार को पुलिस प्रताड़ित करने में लगी रही। हाई कोर्ट ने अधिकारियों पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। हर्जाने की राशि वसूल कर पीड़िता को सात दिन में दी जाएगी। यदि पीड़िता चाहे तो अतिरिक्त मुआवजे की मांग भी कर सकती है।

बस्तर जिले में सैनिक की सरेआम हत्या

जगदलपुर, (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नक्सलियों ने सरेआम एक सैनिक की धारदार हथियार से हत्या कर दी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार पखनार साप्ताहिक बाजार में नक्सलिंयों ने मंगलवार को सरेआम एक गोपनीय सैनिक बुधराम की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के बाद नक्सली नारे लगाते हुए फरार हो गए। घटना के बाद बाजार में भगदड़ मच गई और लोग अपनी-अपनी दुकान समेट कर भागने लगे। चंद मिनटों में बाजार खली हो गया। बताया गया कि बुधराम पहले नक्सलियों के साथ सक्रिय था, बाद में उसने समर्पण कर दिया था। फिर पुलिस ने उसे गोपनीय सैनिक बना दिया था।

इंदौर जिले में कोरोना के 12 नए मामले, एक मौतः इंदौर। जिले में कोरोना के 12 नए मामले आने के अलावा एक रोगी की मौत दर्ज की गयी है। मंगलवार को 8663 सैम्पल जांचे गए हैं। राहत की खबर है कि मंगलवार को 74 रोगियों को डिस्चार्ज किये जाने के बाद अब तक कुल 151129 रोगियों को स्वस्थ करार देकर डिस्चार्ज किया जा चुका है।

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

ई-प्रापण निविदा सूचना संख्या 21/45 | **ई-प्रापण निविदा सूचना** | दिनांक 22.06.2021

भारत के राष्ट्रपति की ओर से **प्रधान मुख्य सामग्री प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज** (आई एस ओ 9001:2015 प्रमाणित इकाई) निम्नलिखित मदों के लिए ई-प्रापण निविदायें आमंत्रित करते है।

क्र. स.	निविदा संख्या	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	निविदा खुलने की तिथि
1	20213619	कॉन्ट्रेक्टर फॉर डिस्चार्ज रेजिस्टर एण्ड कन्वर्टर प्रीचार्जिंग	05 नग	13.07.2021
2	30212048	सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर	305 नग	19.07.2021
3	90211032	एमएस फ्लैट 50x12 एमएम	65000 कि.ग्रा	14.07.2021
4	40211578	पोर्सिलेन ब्रैकेट इन्सुलेटर	1216 नग	14.07.2021

नोटः उपरोक्त सभी ई-प्रापण निविदाओं का पूरा विवरण IREPS वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। **718/21(D)**

North central railways | www.ncr.indianrailways.gov.in | @CPRONCR

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

ई-टेण्डरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये [illegible] निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन (ई-टेण्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते हैं।

कार्य का नाम	ई-निविदा सूचना संख्या	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा बन्द होने की तिथि	स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन/अवधि की तिथि
इनक्रेजिंग ऑफ स्लीपर डेंसटीनी फ्रॉम 1540 पर किमी. टू 1660 पर किमी. इन [illegible] वेरियस लोकेशन [illegible] कानपुर सब डिवीजन।	[illegible]-2021-68	(₹) 2057[illegible]	(₹) 0.00	14/07/2021 at 15:00 hrs.	12 माह

• निविदा दिनांक 14/07/2021 को 15:00 बजे तक आन लाईन जमा कर सकेंगे। • पूर्ण विवरण एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेब साइट **www.ireps.gov.in** पर देखें। 709/21 (SP)

North central railways | www.ncr.indianrailways.gov.in | @CPRONCR

शिवपुरी में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण हुई चार मरीजों की मौत

जांच रिपोर्ट में पुष्टि | सीएमएचओ ने 'डेल्टा प्लस वेरिएंट' से किया इनकार

शिवपुरी, (एजेंसी)। जिले में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 4 मरीजों की मृत्यु कोरोना वायरस के 'डेल्टा वेरिएंट'के कारण हुई है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट में हुई है। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल मई माह में भर्ती हुए मरीजों की कुछ ही दिनों में अचानक मौत होने पर ऐसे लगभग 6 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से चार की रिपोर्ट में कोरोना का 'डेल्टा वेरिएंट' पाया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अर्जुन लाल शर्मा ने बताया कि कुछ मरीजों की मृत्यु बहुत शीघ्रता से हो जाने के कारण और उनकी उम्र भी अधिक नहीं होने के कारण छह व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए 07 मई को भेजे गए थे। इनकी रिपोर्ट आने पर पता चला कि उनमें से 4 में 'डेल्टा वेरिएंट' पाया गया है, जो काफी तेजी से फैलने वाला होता है। उन्होंने साफ किया कि यह वायरस 'डेल्टा प्लस वेरिएंट'नहीं है। इसके साथ ही डॉ शर्मा ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन का पूरा पालन कराया जा रहा है। लोगों के ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बार-बार सभी को बताया जा रहा है।

डॉ शर्मा ने बताया कि इसके साथ ही यहां के जिला अस्पताल और राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर अच्छे से अच्छा उपचार यहां आने वालों को मिल सके। उधर शिवपुरी जिला प्रशासन के एक प्रवक्ता ने भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि शिवपुरी के चारों मरीजों की रिपोर्ट में आया वेरिएंट डेल्टा प्लस नहीं है।

भूपेश ने लगातार वर्षा के मद्देनजर कलेक्टरों को आवश्यक व्यवस्था के दिए निर्देश

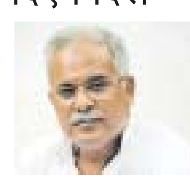

रायपुर, (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टरों को संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

श्री बघेल ने निचले और संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन दल को मुस्तैद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभावितों को तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होने कलेक्टरों से कहा है कि लगातार हो रही बारिश को देखते हुए नदी नालों के जल स्तर पर लगातार निगरानी रखी जाए। इसकी जानकारी नियमित रूप से कंट्रोल रूम में दी जाए। जहां भी बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है वहां पूर्व से ही आवश्यक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए।

एन सी एल NCL | नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (मिनिरत्न कंपनी) (कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)

निविदा सूचना

"सीआईएल एवं अनुषंगी कम्पनियों द्वारा सामाग्री, कार्य एवं सेवाओं हेतु निर्गत सभी निविदाएँ www.coalindia.in/ सम्बंधित अनुषंगी कम्पनी, सीआईएल ई-प्रक्योरमेंट पोर्टल http://coalindiatenders.nic.in एवं केंद्रीय लोक प्रक्योरमेंट पोर्टल https://eprocure.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त GeM Portal https://gem.gov.in के द्वारा भी प्रक्योरमेंट किया जाता है।" R-16

कार्यालय:: प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायाल, भोपाल (म.प्र.)

// विज्ञप्ति //

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल में परामर्शदाता (Counsellor) के 8 रिक्त पदों की पूर्ति माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मेमोरेण्डम क्रमांक ए/1216/।।।-6-3/85 (Sensitization) जबलपुर दिनांक-22.04.2021 के अनुसार किया जाना है।

अतः परामर्शदाता के पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित आवश्यक अर्हता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थीगण अपने आवेदन कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल में दिनांक-10.07.2021 तक कार्यालयीन समय में नाजिर कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल के समक्ष उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं-

परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता-

(1)- कोई भी व्यक्ति, जिसके पास एक विषय के रूप में समाज विज्ञान या मनोविज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि हो और विशेषतः समाज कार्य, बाल मनोविज्ञान या कुटुम्ब सम्बन्ध परामर्श में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो, परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा,

परन्तु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ आपवादिक परिस्थितियों में कम की जा सकेगी,

परन्तु यह और कि अपेक्षित अर्हता रखने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकेगी,

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति, परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, जब उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और वह 60 वर्ष की आयु से कम का हो।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को, जो-

(क) एक न्यायाधीश रहा हो, या

(ख) कुटुम्ब सम्बन्धी विषयों में परामर्श का अनुभव रखता हो,

अन्य बाते समान हो नियुक्ति के मामले में प्राथमिकता दी जावेगी।

G-13688/21

दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी

प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल

प्रदेश में बढ़ीं मानसूनी गतिविधियां, कई स्थानों भारी बारिश का 'ओरेंज' अलर्ट

राजधानी में तेज बारिश जलभराव की स्थिति बनी

भोपाल, (एजेंसी)। प्रदेश में बुधवार को कई स्थानों पर हुई बारिश के बीच मानसूनी गतिविधियों में इजाफा हुआ है, जिसके चलते अगले चौबीस घंटों के दौरान कई जगहों में भारी बारिश का 'ओरेंज' अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ पीके साहा ने बताया की उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से से छत्तीसगढ़ के बीच एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने सिस्टमों के चलते लगातार नमी मिल रही है। इसी का नतीजा रहा कि बुधवार प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश हुयी। राजधानी भोपाल में भी दोपहर बाद तेज बारिश हुई, जिसके कारण जल भराव की स्थिति बन गई।

इसके अलावा खरगोन में 109 मिमी, सीधी में 60 मिमी, गुना में 26 मिमी, भोपाल में 21.2, सतना में 18 मिमी, उमरिया में 20.3 मिमी सहित रीवा, धार, रतलाम और सागर में वर्षा दर्ज की गयी है।

बुरहानपुर जिले में बुधवार लंबे अंतराल बाद झमाझम बारिश हुई। करीब एक घंटे तक रूक-रूककर हुई तेज बारिश से जिले के ग्रामीण अंचलों में पहाडी बरसाती नदी-नालों मे पानी आ गया। ताप्ती नदी का जलस्तर भी बढा है। तेज बारिश से बुरहानपुर के कई हिस्सों मे जलजमाव से आवागमन में व्यवधान आया। इस अवधि में 18.6 मिलीमीटर बारिश हुई। शाम को ताप्ती नदी का जलस्तर 216.420 मीटर को छू गया था।

भारी बारिश के साथ बिजली चमकने के आसार

विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान रीवा और शहड़ोल संभागों के जिलों में तथा रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, धार, देवास, और शाजापुर में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना एवं गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। इसके अलावा जबलपुर, सागर, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में तथा विदिशा, भोपाल, राजगढ़, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, नीमच और मंदसौर जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है।

भोपाल में एक घंटे तक तेज बारिश

राजधानी भोपाल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बुधवार सुबह से बादल छाए रहे। दोपहर बाद मौसम में बदलाव हुआ और लगभग एक घंटे तक तेज बारिश हुयी, जिसके चलते कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गयी। यहां अगले चौबीस घंटों के दौरान भी बारिश की संभावना जताई गयी है। अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम है तथा न्यूनतम तामपान 24.9 डिग्री रहा।

पशु आहार संयंत्र, पचामा, जिला सीहोर-466001 (म.प्र.)
CATTLE FEED FACTORY, PACHAMA, SEHORE -466001 (M.P.)
SUDANA
MoNo. 9406900330 QMS ISO 9001:2015
E-mail : cff.pachama@gmail.com
H.O.: Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit Habibganj Bhopal (M.P.) 462024
Phone : 0755- 2478250/51/52/53, Fax no.: 0755- 2450896
E.mail: misbsds@yahoo.co.uk GST No. 23AAAAB0221D1ZW

क्रमांक/2088/पआसं/पचामा/2021 दिनांक 23.06.2021

तीन वर्ष की अवधि हेतु ठेका श्रमिक संबंधी तृतीय ई-निविदा सूचना

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल की इकाई पशु आहार सयंत्र पचामा (जिला सीहोर) में तीन वर्ष की अवधि के लिये ठेका श्रमिक हेतु ई-निविदा के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती है। निविदा अवधि पूर्ण होने, कार्य संतोषप्रद होने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् एक-एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी। आन लाईन दरें दिनांक **14.07.2021** को दोपहर **12:00** बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। विस्तृत निविदा प्रपत्र ई-निविदा पोर्टल **www.mptenders.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदा से संबधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही जारी किए जावेंगे इसका पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। अन्य जानकारी हेतु **www.sanchibhopal.com** पर लॉग आन करें।

नोट :- सर्विस चार्ज 0% पाये जाने पर उस निविदाकार की निविदा निरस्त मानी जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सुदाना मिनरल मिक्सचर | सबसे कम कीमत पर सबसे अच्छा मिनरल मिक्सचर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संधारण संभाग कमांक-1 शेड क-7 जवाहर चौक, भोपाल

निविदा सूचना क-13 से 14/वलेलि /2021-22 भोपाल, दि-21.06.2021

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यो हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्यो का विस्तृत विवरण बेवसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

स. क.	निविदा सूचना क.	टेण्डर नं.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि रू. लाखों में	अमानत राशि
1.	13	2021_PWDRB_147751	नगर उपसंभाग क-2 भोपाल के अन्तर्गत जी.एम.सी. सेक्शन के विभिन्न भवनों में विभिन्न वार्षिक मरम्मत, विशेष मरम्मत, अनुरक्षण, लघुमूल डिपाजिट एवं अन्य कार्य (तृतीय आमंत्रण)	रू. 53,00,000.00 (रू. तिरपन लाख मात्र)	रू. 53000.00
2.	14	2021_PWDRB_147752	नगर उपसंभाग क-1 भोपाल के अन्तर्गत राजभवन सेक्शन के शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में विभिन्न वार्षिक मरम्मत, विशेष मरम्मत, अनुरक्षण एवं अन्य डिपाजिट कार्य (तृतीय आमंत्रण)	रू. 30,00,000.00 (रू. तीस लाख मात्र)	रू. 50000.00

उपरोक्त वेबसाईट पर आनलाईन भुगतान करने के उपरांत निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र कय एवं सबमिशन करने की अंतिम तिथि 06.07.2021 सायं 5:30 बजे निर्धारित है। निविदा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसे उपरोक्त वेबसाईट पर देखा जा सकता है। विस्तृत एन. आई. टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है।

G-13738/21

जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संधारण संभाग कमांक-1
भोपाल दूरभाष-0755-2777485

बायोडीजल पंप में तोड़फोड़ और अपहरण के चार आरोपी गिरफ्तार

बड़वानी। जिले के सेंधवा स्थित एक बायोडीजल पंप पर पैसों के लेनदेन को लेकर इंदौर से आकर तोड़फोड़ और मारपीट कर चौकीदार का अपहरण करने के मामले में मुख्य आरोपी इंदौर निवासी कबीर सैयद, अनस अख्तर ,दीपक पिपलोदिया तथा राहुल कोठारे को मंगलवार की शाम गिरफ्तार कर लिया है। अभी सलमान फरार है। टीआई विकास कपीश ने बताया कि सेंधवा के बाहरी इलाके में स्थित आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरधारीलाल राठौर के बायोडीजल पंप के कार्यालय में तोड़फोड़, मारपीट व अपहरण के मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से अपहृत चौकीदार धर्मेंद्र दसौंधी को भी बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि गिरधारीलाल राठौर के बायोडीजल पंप में इंधन के लिए इंदौर के सप्लायर कबीर सैयद को एडवांस दिया था। जिसे वह लंबे समय से इसे नहीं लौटा रहा था। सोमवार की रात्रि मोबाइल फोन पर विवाद के बाद कबीर सैयद अपने साथियों के साथ बायोडीजल पंप के कार्यालय पर बंदूक की नोक पर जमकर तोड़फोड़ कर दी थी।

एमपीडीएल लिमिटेड
(पूर्व में मोनेट प्रोजेक्ट डेवलपर्स लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 216, सेक्टर-सी, उर्ला इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, रायपुर- 493221 (छत्तीसगढ़), कॉर्पोरेट कार्यालय :- यूनिट नं. 12, भूतल, मैग्नम टॉवर-1, सेक्टर-58, गुरूग्राम, हरियाणा-122011 (भारत) दूरभाष नं. : +91 11 29218542-46, फैक्स : +91 11 29218541 ईमेल : isc_mpdl@monnetgroup.com; वेबसाइट : www. monnetgroup.com सीआईएन- एल 70102सीटी2002पीएलसी015040

सूचना

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं 47 के साथ पठित विनियम सहित के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अन्य विषयों के साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुई तिमाही एवं वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन करने हेतु कंपनी के व्यापारिक कार्यालय पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक मंगलवार, 29 जून, 2021 को मोनेट हाऊस, 11, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश- ।।, नई दिल्ली-110048 में आयोजित की जायेगी।

सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.monnetgroup.com) पर एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश द्वारा
एमपीडीएल लिमिटेड
(पूर्व में मोनेट प्रोजेक्ट डेवलपर्स लिमिटेड)
अनुराग सिंह राठौर
कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक : 23.06.2021
स्थान : नई दिल्ली

मोनिन्ड लिमिटेड
(पूर्व में मोनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 216, सेक्टर-सी, उर्ला इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, रायपुर- 493221 (छत्तीसगढ़), कॉर्पोरेट कार्यालय :-मोनेट हाऊस, 11, मस्जिद मोठ ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048 (भारत) दूरभाष नं. : +91 11 29218542-46, फैक्स : +91 11 29218541 ईमेल : isc_mind@monnetgroup.com; वेबसाइट : www. monnetgroup.com सीआईएन- एल 51103सीटी1982पीएलसी009717

सूचना

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं 47 के साथ पठित विनियम सहित के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अन्य विषयों के साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुई तिमाही एवं वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन करने हेतु कंपनी के व्यापारिक कार्यालय पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक मंगलवार, 29 जून, 2021 को मोनेट हाऊस, 11, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश- ।।, नई दिल्ली-110048 में आयोजित की जायेगी।

सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.monnetgroup.com) पर एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश द्वारा
मोनिन्ड लिमिटेड
(पूर्व में मोनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड)
प्रिया
कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक : 23.06.2021
स्थान : नई दिल्ली

कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला बैतूल (म.प्र.)
Office E-mail - modgmbet@mp.gov.in, Ph. No. 07141-230542

क्रमांक/खनिज-1/2021/1126 बैतूल, दिनांक 17.06.2021

म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम, 18(1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा प्राप्त करने के लिए

प्रथम सूचना

यह सूचित किया जाता है कि, आवेदक श्री शैलेष पानकर पिता श्री सुधाकरराव पानकर निवासी चन्द्रशेखर वार्ड सदर बैतूल तहसील व जिला बैतूल द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑन लाईन आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2021 को प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 17.07.2021 तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन ई-खनिज पोर्टल http://ekhanij.mp.gov.in पर प्रस्तुत किये जायेगें।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.में	भूमि का प्रकार शासकीय/निजी	खनिज का नाम	रिमार्क
बैतूल	बैतूल	जगधर	184/3 184/4	1.805 0.195	निजी	पत्थर (गिट्टी निर्माण हेतु)	
			कुल रकबा	2.000			

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सायं 5.30 बजे तक) ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते है, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जायेगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो पुनः 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म0प्र0 गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नही होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला बैतूल (म.प्र.)

G-13742/21

जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं

कार्यालय, जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल भोपाल (म.प्र.)
(Office-0755-2742263, Fax-0755-2742250, email.newjailbhopal@gmail.com)

क्रमांक : 145 / उद्योग/21 भोपाल, दिनांक 19/06/2021

ई-टेण्डरिंग निविदा सूचना
वर्ष 2021-22
(प्रथम आमंत्रण)
(म.प्र. भण्डार क्रय नियम 2015 के अंतर्गत)

केन्द्रीय जेल भोपाल में संचालित उद्योगों में लगने वाली आवश्यक सामग्रीयों (कच्चा माल) के क्रय हेतु वार्षिक निविदायें ई-टेण्डरिंग पद्धति (Online System) के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

1.	प्री-विड मीटिंग की तिथि	दिनाँक 25.08.2021 सयम 11:30 बजे	कार्यालय जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल भोपाल
2.	निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि-(निविदा फार्म का मूल्य 1000 रूपये प्रतिफार्म राशि लेखा शीर्ष 0056, जेले 800 अन्य प्राप्तियां में ऑनलाईन जमा की जावेगी।	दिनांक 15.07.2021 को समय : 17:00 बजे	https://www.mptenders.gov.in पर प्राप्त किये जा सकेंगे।
3.	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 15.07.2021 को समय : 17:30 बजे	https://www.mptenders.gov.in पर प्राप्त किये जा सकेंगे।
4.	दस्तावेजों की हार्ड कॉपी/ईएम.डी.एफ.डी.आर. बैंक ड्राफ्ट एवं नमूनें जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 16.07.2021 को समय : 11:30 बजे	कार्यालय जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल भोपाल
5.	तकनीकी निविदा (आवश्यक दस्तावेज) खोलने तथा नमूनें गुणवत्ता परीक्षण की तिथि	दिनांक 16.07.2021 को समय : 12:00 बजे	कार्यालय जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल भोपाल
6.	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 19.07.2021 को समय : 01:00 बजे	कार्यालय जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल भोपाल

निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाईट पर (Online System) क्रेडिट कार्ड या आनलाईन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते है निविदा एवं उससे संबंधित जानकारी ऊपर दर्शाई गई वेबसाईट पर देखे। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन संबंधित वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ही किया जायेगा, जिसका पृथक से कोई प्रकाशन समाचार पत्रों में नहीं किया जायेगा।

दिनेश नरगावे
जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल भोपाल

G-13735/21

दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी।

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

ई-निविदा संख्याः म.रे.प्र./वा./आगरा/खा.पा./ए-1, ए एवं बी./जी.एम.यू./2021/01 दिनांक 21.06.2021

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिये वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, उ.म.रे.-आगरा द्वारा प्रोफेशनल/रेपुटेड कैटरर्स/व्यक्तिगत से आगरा मंडल के ए-1, ए. एवं बी. श्रेणी के स्टेशन प्लेटफार्म पर खानपान स्टॉल के पाँच वर्ष तक संचालन हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र सं.	निविदा/स्टॉल बिड संख्या	स्टेशन का नाम एवं कैटेगरी	प्रथम वर्ष की आरक्षित न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस फीस	प्रस्तावित यूनिट की लोकेशन	पांच वर्ष की कुल लाइसेंस फीस	कुल लाइसेंस फीस की 2% बयाना राशि	आवेदन फार्म की कीमत + 18 प्रतिशत जी.एस.टी
1	2021/1/01 एम.टी.जे.-03	मथुरा जं. (ए-01)	₹ 20,69,100/-	प्लेट फार्म संख्या 01/6 शेड कॉलम नं 22 एवं 23 के मध्य आगरा छोर की साइड	₹ 1,07,59,320/-	₹ 2,15,200/-	5,000+ 900 =5,900/-
2	2021/1/02 एम.टी.जे.-18	मथुरा जं (ए-01)	₹ 10,67,462/-	प्लेट फार्म संख्या 07 जी.आर.पी. थाने की गली के पास अछनेरा साईड।	₹ 55,50,802/-	₹ 1,11,100/-	₹5,000+900 =5,900/-
3	2021/1/03 एम.टी.जे-23	मथुरा जं. (ए-01)	₹ 6,72,100/-	प्लेट फार्म संख्या 08/9 खम्भा नं. 05 व 06 के मध्य।	₹ 34,94,920/-	₹ 69,900/-	₹3,000+540 =3,540/-
4	2021/1/04 एम.टी.जे-27	मथुरा जं. (ए-01)	₹ 2,84,092/-	द्वितीय प्रवेश द्वार के बुकिंग हाल में सी.एच.आई. स्टोर के सामने।	₹ 14,77,278/-	₹ 29,600/-	₹2,000+360 =2,360
5	2021/1/05 आर.के.एम.-05	राजा की मण्डी (ए)	₹ 3,70,440/-	प्लेट फार्म संख्या 02 पुराने पार्सल ऑफिस के पास प्रवेश द्वार की तरफ।	₹ 19,26,288/-	₹ 38,600/-	₹2,000+360 =2,360

लाइसेंस का प्रकारः क्र.सं.1से 5 के लिएः खानपान, **कैटेगरीः क्र.सं. 1 से 5 के लिए :** जी.एम.यू, **आरक्षित/अनारक्षित कैटेगरीः क्र.सं. 1, 3 एवं 4 के लिए :** जी.एम.यू.-महिला **एवं क्र.सं. 2 एवं 5 के लिएः** जी.एम.यू. **नोटः 1.** उपरोक्त ई-निविदा का पूर्ण विवरण (ई-निविदा प्रपत्र सहित) वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर टैण्डर खुलने की दिनांक **22.07.2021** को **11.00 बजे** तक उपलब्ध है। **2.** उपर्युक्त ई-निविदा में ई-बिड के अलावा किसी अन्य रूप मे बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु वेन्डरों को चाहिये कि वे अपने आपको **I.T. Act-2000** के अन्तर्गत **C.C.A** द्वारा जारी डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ **IREPS** की वेबसाइट पर पंजीकृत कराये। **3.** ई-निविदा की दरें केवल डिजिटल हस्ताक्षरित फाइनेन्सियल रेट पेज पर ही विचारणीय है। दरें तथा अन्य प्रभार अन्य किसी भी फार्म/लेटर हेड पर यदि संलग्न है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा तथा सीधी तौर पर आमान्य कर दिया जाएगा। **4.** संलग्न किये जाने वाले सभी प्रपत्र निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिये। **5.** ई-निविदा हेतु ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर की राशि ई-भुगतान/नेट बैंकिंग अथवा गेटवे भुगतान के रूप में ही स्वीकार की जायेगी। **6.** किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिये **IREPS** की वेबसाइट की हेल्प लाइन के सम्पर्क किया जा सकता है। **7.** ऑन लाइन ई-निविदा दिनांक **22.07.2021** को **11.00 बजे** तक प्रस्तुत की जा सकती है। **8.** रेलवे प्रशासन को किसी एक अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। **9.** ऑफर की वैधता ई-निविदा खुलने की दिनांक से **180 दिन** तक मानी जायेगी। **10.** ई-निविदा प्रपत्र राशि का मूल्य वापस नहीं किया जायेगा। ई-निविदा फार्म हस्तान्तरणीय नही है। **11.** उक्त माँगे गए सभी दस्तावेजों को सम्बन्धित विभाग से सत्यापित कराने पर यदि कोई दस्तावेज वैध नहीं पाया गया तो ई-निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा निविदा के नियम एवं शर्तो के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। **12.** निविदाकर्ता जो कि रेलवे की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-निविदा प्रपत्र उपयोग कर रहे है, को चाहिये कि वे ई-निविदा सूचना/ई-निविदा प्रपत्र से सम्बन्धित समस्त कोरिजेन्डम/एमेन्डमेंट (यदि है) तो वे रेलवे की वेबसाइट **IREPS** पर देखते रहें। इस सम्बन्ध में अलग से कोई भी सूचना नहीं दी जायेगी। **13.** इन्टरनेट डाउन लोडिंग में किन्हीं कारणों से विलम्ब, कठिनाईयां, नॉन-असेसबिलिटी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिये रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। यदि डाउनलोडिंग किये गये ई-निविदा प्रपत्र और इस कार्यालय में उपलब्ध अनुमोदित मास्टर प्रति में कोई कमी पायी जाती है तो इस कार्यालय में उपलब्ध/अनुमोदित मास्टर प्रति ही मान्य होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार के दावे स्वीकार नहीं होंगे। **14.** ई-निविदा "टू पैकेट सिस्टम निविदा प्रणाली" में प्रस्तुत किया जायेगा। **15.** प्रत्येक स्टॉल हेतु अलग-अलग निविदा फार्म निविदा फार्म की कीमत/बयाना फार्म की कीमत/बयाना राशि एवं निविदा भरी जाये। **16.** सीलिंग लिमिट खानपान नीति-2017 के अनुसार लागू रहेगी। 716/20 (R)

North central railways | www.ncr.indianrailways.gov.in | @CPRO NCR